

## अभिनिर्णय

1. वाद संख्या : 46 / 2014-15
2. ग्राम : दौंदापुर।
3. परगना व तहसील : चांदा, लम्मुआ
4. जनपद : सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश)
5. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल : 2.4259 हे०
6. भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन : राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 56  
(सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के  
134.700 कि०मी० से 178.300  
कि०मी० तक चौड़ा करने/चार लेन बनाने  
आदि हेतु।
7. क्या जमींदारी विनाश क्षेत्र लागू है? : हाँ।
8. अध्याप्ति निकाय का नाम : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय  
(भारत सरकार) द्वारा भारतीय राष्ट्रीय  
राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई  
वाराणसी।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 : अधिसूचना संख्या-क.अ.2648(अ)  
के अन्तर्गत धारा 3A की अधिसूचना  
प्रकाशन का दिनांक भारत का राजपत्र असाधारण,  
भाग II-खण्ड 3- उपखण्ड (ii)  
नई दिल्ली, दिनांक 23.10.2012
10. धारा 3A की उपधारा (3) के : 1. अमर उजाला  
प्राविधानानुसार स्थानीय समाचार  
पत्रों में प्रकाशन का दिनांक दिनांक 12.12.2012  
2. हिन्दुस्तान  
दिनांक 12.12.2012
11. उक्त अधिनियम की धारा 3D : अधिसूचना सं०-क.अ.3219 (अ)  
की उपधारा (1) के अन्तर्गत  
अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि भारत का राजपत्र असाधारण,  
भाग II- खण्ड 3- उपखण्ड (ii)  
नई दिल्ली, दिनांक 22.10.2013
12. उक्त अधिनियम की धारा 3G : 1.हिन्दुस्तान  
की उपधारा 3 के अन्तर्गत स्थानीय  
समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि दिनांक 14.11.2013  
2. टाइम्स ऑफ इण्डिया  
दिनांक 14.11.2013
13. अभिनिर्णय की तिथि : दिनांक ,2015

14. अभिनिर्णय की धनराशि का विवरण:-

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	1,12,91,400.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	
	वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रु०)	8,45,970.00
	भवन आदि निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	61,83,197.00
	<b>योग (रु०)</b>	<b>1,83,20,567.00</b>
	<b>10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि (रु०)</b>	<b>18,32,056.00</b>
	<b>सम्पूर्ण योग (रु०)</b>	<b>2,01,52,623.00</b>

15. अध्याप्ति व्यय की धनराशि (10 प्रतिशत) : रु० 20,15,262.00

16. पूंजीकृत मूल्य की धनराशि (मालगुजारी का 40 गुना): रु० 95.73 × 40 = 3,829.20  
यानि=3,829.00

### अभिनिर्णय का औचित्य

भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के 134.700 कि०मी० से 178.300 कि०मी० (सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के निर्माण के लिए जनपद-सुलतानपुर के ग्राम-दौंदापुर, परगना-चांदा व तहसील लम्बुआ में भूमि अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वाराणसी) द्वारा सक्षम प्राधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी, सदर सुलतानपुर को प्राप्त कराया गया। इस प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 की धारा 3A के अन्तर्गत भारत सरकार का असाधारण राजपत्र, नई दिल्ली में गजट अधिसूचना दिनांक 23.10.2012 तथा दो समाचार पत्रों 'अमर उजाला' एवं 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को प्रकाशित कराया गया। इस भू-अर्जन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ग्राम-दौंदापुर, के भू-स्वामियों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3C के अन्तर्गत उन्नीस (19) आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसका नियमानुसार निस्तारण किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इस कार्यालय द्वारा भेजा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत इस ग्राम में 2.4259 हे० भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना भारत का राजपत्र असाधारण में दिनांक 22.10.2013 को प्रकाशित किया गया है, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के प्रकाशन के उपरान्त इस ग्राम में 2.4259 हे० भूमि अधिग्रहण हेतु दो दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 14.11.2013 को प्रकाशित किया गया है।

(03)

उक्त अधिनियम की धारा 3G के अन्तर्गत भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई दावा/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम-दौंदापुर, परगना-चांदा व तहसील लम्बुआ, जनपद-सुलतानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के (134.700 कि०मी० से 178.300 कि०मी० तक) (सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजनार्थ गजट के आधार पर अधिग्रहीत भूमि गाटा संख्या 43 रकबा 0.0060हे०, गाटा संख्या 45 रकबा 0.0079हे०, गाटा संख्या 51 रकबा 0.0130हे०, गाटा संख्या 58 रकबा 0.0009हे०, गाटा संख्या 79 रकबा 0.0244हे०, गाटा संख्या 80 रकबा 0.0305हे०, गाटा संख्या 81 रकबा 0.0160हे०, गाटा संख्या 82 रकबा 0.0164हे० गाटा संख्या 96 रकबा 0.0069हे० व गाटा संख्या 111 रकबा 0.0221 एवं गाटा संख्या 112 रकबा 0.0170हे० कुल भूमि 0.1611हे० में अर्जित रकबे का सरकारी/गांवसभा भूमि का गजट प्रकाशन हुआ है, में अर्जित रकबे का सरकारी/गांवसभा भूमि का पुर्नग्रहण की कार्यवाही अध्याप्ति निकाय यानि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वाराणसी द्वारा की जानी है। संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर गाटा संख्या 38 रकबा 0.0094 हे०, गाटा संख्या 50 रकबा 0.1070 हे० गाटा संख्या 39 रकबा 0.0694 हे०, गाटा संख्या 49 रकबा 0.1183 हे०, गाटा संख्या 44 रकबा 0.0793 हे०, गाटा संख्या 55 रकबा 0.0310हे० गाटा संख्या 37 रकबा 0.0727हे० गाटा संख्या 57 रकबा 0.0166हे०, गाटा संख्या 54 रकबा 0.0302हे०, गाटा संख्या 99 रकबा 0.0223हे०, गाटा संख्या 97 रकबा 0.0663हे०, गाटा संख्या 117 रकबा 0.0009हे०, गाटा संख्या 98 रकबा 0.0630हे०, गाटा संख्या 52 रकबा 0.5918हे०, गाटा संख्या 66 रकबा 0.1773हे०, गाटा संख्या 41 रकबा 0.0549हे०, गाटा संख्या 42 रकबा 0.0463हे०, गाटा संख्या 40 रकबा 0.0596हे०, गाटा संख्या 48 रकबा 0.1739हे०, गाटा संख्या 56 रकबा 0.0223हे०, गाटा संख्या 47 रकबा 0.1151हे०, गाटा संख्या 78 रकबा 0.1686हे०, एवं गाटा संख्या 92 रकबा 0.0660हे०, कुल रकबा 2.1622 हे० में प्रतिकर की कार्यवाही की जा रही है। भूमि पर सर्वे के उपरान्त बृक्षों की मूल्यांकन आख्या प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग/जिला उद्यान अधिकारी सुलतानपुर से प्राप्त हुई हैं, जिसका समावेश प्रपत्र नमूना-11 पर विद्यमान है। अर्जित भूमि की वर्तमान बाजार दर ज्ञात करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा, 3(A) के प्राविधानों के अन्तर्गत धारा 3(A) की अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 23.10.2012/ 12.12.2012 से 3 वर्ष पूर्व के अवधि में निष्पादित विक्रय पत्रों को उपनिबंधक लम्बुआ, सुलतानपुर कार्यालय से क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार लम्बुआ द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसे संकलित कराते हुए अंकित किया गया, इस निर्धारित अवधि में मात्र 01 बिक्रय पत्र वर्ष 2009 का प्राप्त हुआ, जिसे अनुसूची-2 में सूचीबद्ध किया गया है। सर्वेक्षण के आधार पर अन्य नम्बरों के सम्बन्ध में अध्याप्ति निकाय पुनः कार्यवाही करें। अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण बाजार मूल्य पर किया जाना है, अतएव विज्ञप्ति के तीन वर्ष के पूर्व के विक्रय पत्रों के निष्पादन के आधार पर बाजार मूल्य नियत किया जाना विधिसंगत है। परन्तु समुचित बिक्रय बिलेख उपलब्ध न होने के कारण प्रतिनिधि बिक्रय पत्र के रूप में चयन किया जाना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है, जिस कारण से उपरोक्त विक्रय बिलेख को निरस्त किया जाता है। दर बाजार भाव के अनुरूप न मिलने के कारण जिलाधिकारी स्टाम्प डियुटी में अंकित उक्त ग्राम के दर का परीक्षण किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। स्टाम्प डियुटी रेट में ग्राम दौंदापुर को सामान्य ग्रामों की श्रेणी में मानते हुए गाटा संख्या 38 रकबा 0.0094हे०, गाटा संख्या 55 रकबा 0.0310हे०, गाटा संख्या 57 रकबा 0.0166हे०, गाटा संख्या 54 रकबा 0.0302हे०, गाटा संख्या 99 रकबा 0.0223हे०, गाटा संख्या 117 रकबा 0.0009हे०, गाटा संख्या 42 रकबा 0.0463हे० एवं गाटा संख्या 56 रकबा 0.0223 हे० कुल रकबा 0.1790 को 0.050हे० तक दर रू० 15,400 के

(04)

अनुसार एवं गाटा संख्या 39 रकबा 0.0694हे0, गाटा संख्या 44 रकबा 0.0793हे0 गाटा संख्या 37 रकबा 0.0727हे0 गाटा संख्या 97 रकबा 0.0663हे0 गाटा संख्या 98 रकबा 0.0630हे0 गाटा संख्या 41 रकबा 0.0549हे0 गाटा संख्या 40 रकबा 0.0596हे0 एवं गाटा संख्या 92 रकबा 0.0660हे0 कुल रकबा 0.5312हे0 0.050हे0 से 0.100हे0 तक दर रू0 6,500, तथा गाटा संख्या 50 रकबा 0.1070हे0, गाटा संख्या 49 रकबा 0.1183हे0 गाटा संख्या 52 रकबा 0.5918हे0 गाटा संख्या 66 रकबा 0.1773हे0 गाटा संख्या 48 रकबा 0.1739हे0 गाटा संख्या 47 रकबा 0.1151हे0 एवं गाटा संख्या 78 रकबा 0.1686हे0 कुल रकबा 1.4520 तक दर रू0 3,500 इस प्रकार सम्पूर्ण निजी भूमि का सर्वेक्षण के आधार पर रकबा 2.1622हे0 को अभिनिर्णय हेतु सर्वथा औचित्य पूर्ण पाते हुए अभिनिर्णय निर्धारित किया जाता है। निर्धारित दर के आधार पर अर्जित भूमि की प्रगणना निम्नवत है:-

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रू0)	1,12,91,400.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	
	वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रू0)	8,45,970.00
	भवनों आदि निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रू0)	61,83,197.00
	योग (रू0)	1,83,20,567.00
10	प्रतिशत अतरिक्त धनराशि (रू0)	18,32,056.00
	सम्पूर्ण योग (रू0)	2,01,52,623.00

अतएव उपरोक्त निर्धारित दर के आधार पर सर्वेक्षण के आधार पर 2.1622 हे0 अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रू0 1,12,91,400.00 होता है तथा परिसम्पत्तियों के रूप में भवनों का मूल्यांकन रू0 61,83,197.00 होता है तथा वृक्षों की मूल्यांकन आख्या 8,45,970.00 होता है। इस निर्धारित धनराशि पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G (2) के अनुसार 10 प्रतिशत की दर से अतरिक्त धनराशि रू0 18,32,056.00 देय होगी। इस प्रकार कुल अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रू0 2,01,52,623.00 (रू0 दो करोड़, एक लाख, बावन हजार, छः सौ तेईस मात्र) निर्धारित किया जाता है।

**अध्याप्ति व्यय-** कुल अभिनिर्णीत धनराशि रू0 2,01,52,623.00 पर 10 प्रतिशत की दर से अध्याप्ति व्यय रू0 20,15,262.00 अर्जन निकाय से वसूल कर राज्य के निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भू राजस्व-800 अन्य प्राप्तियाँ 007-भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्यवाहियों की वसूली 0704 अन्य संस्थाएं" में जमा किया जायेगा।

**पूँजीकृत मूल्य** - अर्जित भूमि में भू-राजस्व 95.73 का 40 गुना रूपया 3,829.000 अध्याप्ति निकाय से वसूल करके राज्य सरकार के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाएगा।

(05)

अतः मैं सक्षम प्राधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी, सदर सुलतानपुर 2.1622 हे0 भूमि का अभिनिर्णय ग्राम-दौंदापुर परगना-मीरानपुर व तहसील लम्भुआ, में रु0 **2,01,52,623.00** (रु0 दो करोड़, एक लाख, बावन हजार, छः सौ तेईस मात्र) घोषित करता हूँ। अभिनिर्णीत धनराशि खातावार, गाटावार भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों के नाम पर भूमि अर्जन प्रपत्र-11 में अंकित की जाए।

आज दिनांक ,2015 को अभिनिर्णय घोषित कर पत्रावली में सम्मिलित किया गया है।

**(राम विलास)**

सक्षम प्राधिकारी/अपर  
उप जिलाधिकारी, सदर  
सुलतानपुर।

## सक्षम प्राधिकारी (अपर उप जिलाधिकारी, सदर) महोदय,

कृपया पत्रावली पर दांयी ओर रक्षित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई लखनऊ द्वारा भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के 134.700कि०मी० से 178.300 कि०मी० (सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के निर्माण के लिए जनपद-सुलतानपुर के ग्राम-दौंदापुर परगना चॉदा व तहसील लम्भुआ में भूमि अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वाराणसी) द्वारा सक्षम प्राधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी, सदर, सुलतानपुर को प्राप्त कराया गया है, जिसके संबंध में धारा 3ए एवं 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना भारत सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित हुई है। तदोपरान्त दो दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से स्थानीय प्रकाशन कराया गया है। ग्राम में उन्नीस (19) आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनका नियमानुसार निस्तारण किया गया है। तहसील सदर से अंतिम प्रकाशन की तिथि के तीन वर्ष पूर्व के बिक्रय पत्र को उपनिबंधक कार्यालय लम्भुआ से नोट कराया गया, जिसके अनुसार तैयार की गयी अनुसूची-2 दांयी ओर संलग्न है। विक्रय विलेख के अनुसार बाजार भाव स्पष्ट होने के कारण दर का निर्धारण दिये गये निर्देश के क्रम में किया गया। सर्वेक्षण में अधिग्रहीत भूमि पर वृक्ष, भवन व अन्य परिसम्पत्तियाँ प्रभावित हो रही अर्जित भूमि में मालगुजारी रू० 95.73 के कमी की स्वीकृति प्राप्त होनी है। अतः दिये गये निर्देश के क्रम में आपकी ओर से अभिनिर्णय आदेश कम्प्यूटरीकृत टंकित कर पत्रावली पर दायी ओर संलग्न है, कृपया इसका अवलोकन करते हुए, सहमत होने के पश्चात हस्ताक्षर करना चाहें।